CENTRE FOR AMBITION
(An Institute for Civil Services)

Current Affairs August-2018 Vol.-I

जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य

केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में घोषित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का क्रियान्वयन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया है।

- राजस्थान तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर बल देगा तथा वैकल्पिक ईंधन एवं ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में शोध के लिए उदयपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।
- राज्य के पंचायती राज मंत्री के अनुसार भारतीय रेलवे की आर्थिक सहायता से राज्य में पहले ही 8 टन की क्षमता वाला बायोडीजल प्लांट स्थापित किया गया है।
- राज्य सरकार जैव ईंधन के विपणन को बढ़ावा देगा तथा इसके बारे में जागरूकता फैलाएगा।
- राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् बायोडीजल की आपूर्ति के द्वारा अतिरिक्त आय सृजन की संभावना के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करेगी।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मई, 2018 को जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी प्रदान की थी। ज्ञातव्य है कि देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी। पिछले दशक में जैव ईंधन ने दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। जैव ईंधन के क्षेत्र में विकास की गति के साथ चलना आवश्यक है। भारत में जैव ईंधनों का रणनीतिक महत्व है क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोजगार सृजन, कचरे से धन सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत का जैव ईंधन कार्यक्रम जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की दीर्घकालिक अनुप्लब्धता और परिमाण के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 मुख्य विशेषताएं**:
  - **श्रेणीबद्धता:** नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथनॉल और जैव डीजल तथा ''विकसित जैव ईंधनों' – दूसरी पीढ़ी (2जी) इथनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
  - **कच्चे माल का दायरा:** नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं जैसे चुकन्दर, स्वीट सौरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे – भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।

- **अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति:** अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- **अतिरिक्त कर प्रोत्साहन:** जैव ईंधनों के लिए, नीति में 2जी इथनॉल जैव रिफाइनरी के लिए 1जी जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों, उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये की निधियन योजना के लिए व्यावहारिकता अन्तर का संकेत दिया गया है।
- **आपूर्ति श्रृंखला तंत्र:** नीति गैर-खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु गाभ फसलों से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया।
- इन प्रयासों के लिए नीति दस्तावेज़ में जैव ईंधनों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अधिग्रहण किया गया है।

संभावित लाभ

- **आयात निर्भरता कम होगी :** एक करोड़ लीटर ई-10 वर्तमान दरों पर 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। इथनॉल आपूर्ति वर्ष 2017-18 में करीब 150 करोड़ लीटर इथनॉल की आपूर्ति दिखाई देने की उम्मीद है जिससे 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- **स्वच्छ पर्यावरण –** एक करोड़ लीटर ई-10 से करीब 20,000 हजार टन कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन कम होगा। वर्ष 2017-18 इथनॉल आपूर्ति के लिए कार्बनडाइक्साइड 30 लाख टन उर्त्सजन कम होगा। फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्ट/कचरे को जैव ईंधनों में बदलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में और कमी आएगी।
- **स्वास्थ्य संबंधी लाभ :** खाना पकाने के लिए तेल खासतौर से तलने के लिए लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है और अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इस्तेमाल हो चुका खाना पकाने का तेल जैव ईंधन के लिए संभावित फीडस्टॉक हो सकता है और जैव ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है।
- **एमएसडब्लयू प्रबंध :** एक अनुमान के अनुसार भारत में हर वर्ष 62 एमएमटी निगम का ठोस कचरा निकलता है। ऐसी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जो कचरा/प्लास्टिक, एमएसडब्ल्यू को ईंधन में परिवर्तित कर सकती हैं। ऐसे एक टन कचरे में ईंधनों के लिए करीब 20 प्रतिशत बूंदें प्रदान करने की संभावना है।

- **ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेश :** एक अनुमान के अनुसार के एक 100 केएलपीडी जैव रिफाइनरी के लिए करीब 800 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। वर्तमान में तेल विपणन कंपनियां करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बारह 2जी रिफाइनरियां स्थापित करने की प्रक्रिया में है। साथ ही देश में 2जी जैव रिफाइनरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के लिए प्रोत्साहित किय जा सकेगा।
- **रोजगार सृजन :** एक 100 केएलपीडी 2जी जैव रिफाइनरी संयंत्र परिचालनों, ग्रामीण स्तर के उद्यमों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 1200 नौकरियां देने में योगदान दे सकती हैं।
- **किसानों की अतिरिक्त आय :** 2जी प्रौद्योगिकियों को अपना कर कृषि संबंधी अवशिष्टों/ कचरे को इथनॉल में बदला जा सकता है और यदि इसके लिए बाजार विकसित किया जाए तो कचरे का मूल्य मिल सकता है जिसे अन्यथा किसान जला देते हैं। साथ ही, अतिरिक्त उत्पादन चरण के दौरान उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा रहता है। अत: अतिरिक्त अनाजों को परिवर्तित करने और कृषि बॉयोमास मूल्य स्थिरता में मदद कर सकते हैं।

<u>विश्व स्तनपान सप्ताह</u>

- स्तनपान को बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला माना जाता है। प्रत्येक वर्ष स्तनपान की महत्ता को उजागर करने और इसके प्रति जागरूकता के लिए एक से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष सप्ताह का थीम- 'स्तनपान-जीवन की नींव' रखा गया है।
- **अमृतपान से वंचित होते जिले के बच्चे**
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 के अनुसार जनपद सुलतानपुर में जन्म के एक घंटे के अंदर मात्र 33.9 प्रतिशत शिशु ही मां के गाढ़ा पीला दूध का सेवन कर पाते हैं। मात्र 20.6 प्रतिशत बच्चे ही जन्म से 6 माह तक सिर्फ़ मां का दूध पीते हैं जबकि, बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर मां का पीला एवं गाढ़ा दूध एवं जन्म से 6 महीने तक सिर्फ़ मां का दूध बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। स्तनपान बच्चे के शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर बच्चे को रोगों से बचाये रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्तनपान करने वाली माताएं स्तनपान नहीं कराने वाली माताओं से ज्यादा स्वस्थ्य रहती हैं।
- **मां की जागरूकता से जुड़ा है बच्चे का स्वास्थ्य:**
- गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दो साल तक का समय यानी 1000 दिन का सदुपयोग ही बच्चे के सम्पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान माता का संतुलित एवं पोषक आहार बच्चे के पूर्ण मानसिक विकास में सहयोगी होता है। साथ ही बच्चे को जन्म के बाद होने वाले कुपोषण से भी बचाव

करता है। बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जन्म के एक घण्टे के भीतर मां का गाढ़ा पीला दूध, 6 माह तक सिर्फ़ माह का दूध एवं 2 साल तक स्तनपान कराना माता की जागरूकता का परिचायक है। एक जागरूक और स्वस्थ्य मां ही अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकती हैं।

- **स्तनपान सप्ताह की सफलता को सामुदायिक जागरूकता जरूरी**
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमाश्रय सिंह ने बताया कि जिले में एक से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। स्तनपान विषय में आम जागरूकता बढ़ाने की जरूरत भी है। यदि लोग स्तनपान के फ़ायदों से अवगत होंगे तभी इसमें इजाफ़ा हो सकता है। संस्थागत प्रसव के एक घण्टे के भीतर बच्चे को स्तनपान सुनश्चित कराने की ज़िम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है, लेकिन 6 माह तक सिर्फ़ स्तनपान कराने के लिए लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। स्तनपान सप्ताह में स्तनपान के विषय में आशा एवं एएनएम का क्षमता वर्धन किया जाएगा। साथ ही इनके द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जागरूकता भी कि जाएगी।

<u>डेटा संरक्षण पर न्यायमूर्ति बी. एन. कृष्णा की सिफारिशे</u>

लंबी अवधि के बाद, सरकार ने 'डेटा संरक्षण' के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 से संबंधित **न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में गठित समिति** की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। आइये समझते है इसे थोड़े विस्तार में…..

इस कानून का क्या प्रयोजन है?

समिति की रिपोर्ट अनुशंसा करती है कि कानून का उपयोग व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण (Processing of personal data) के लिए लागू होगा, यदि डेटा साझा किया गया है, खुलासा किया गया है, एकत्रित किया गया है या अन्यथा संसाधित किया गया है। हालांकि, यह दावा करता है कि जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था जो भारत में मौजूद नहीं है उसके द्वारा प्रसंस्करण के संबंध में, कानून भारत में व्यवसाय करने वाले अन्य लोगों या प्रोफाइलिंग जैसी अन्य गतिविधियों पर लागू होगा जो भारत में डेटा प्रिंसिपल को गोपनीयता नुकसान पहुंचा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कानून के तहत शामिल कंपनियों द्वारा एकत्रित, साझा, साझा, खुलासा या अन्यथा संसाधित व्यक्तिगत डेटा को कवर किया जाएगा, चाहे वह वास्तव में भारत में कहां संसाधित हो। हालांकि, यह केंद्र को उन कंपनियों को छूट देने का अधिकार देता है जो केवल भारत में मौजूद विदेशी नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित नहीं करते हैं।

व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा

व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा को "पहचान" के मानक के आधार पर निर्धारित किया गया है। "डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी" (डीपीए) को विभिन्न संदर्भों में व्यक्तिगत डेटा की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू परिभाषा में मानकों को समझाते हुए मार्गदर्शन जारी करने के साथ कार्य दिया गया है। व्यक्तिगत डेटा की "व्यापक और लचीली" परिभाषा को अपनाया जाना चाहिए, रिपोर्ट बताती है, "उन परिस्थितियों में 'पहचान योग्यता' जहां व्यक्ति प्रत्यक्ष पहचानकर्ताओं की उपस्थिति से प्रत्यक्ष रूप से पहचाना जा सकता है जैसे व्यक्तिगत डेटा की किसी भी परिभाषा में नाम शायद स्पष्ट रूप से दायरे में शामिल किया जा सकता है। परिभाषा, इसके अलावा, उन संदर्भों पर भी लागू होनी चाहिए जहां एक व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उन डेटा से पहचान योग्य हो सकता है जिनमें अप्रत्यक्ष पहचानकर्ता शामिल हैं।

साधनों का सवाल प्रौद्योगिकी की स्थिति के संबंध में विश्लेषण के तरीकों की लागत और प्रसार से भी संबंधित हो सकता है। इस प्रकार, यहां तक कि जहां कोई व्यक्ति सीधे पहचान योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में डेटा को व्यक्तिगत रूप से माना जाना चाहिए यदि यह संभव है कि इन कारकों के संबंध में उसे पहचाना जा सके। "

व्यक्तिगत डेटा की प्रसंस्करण (Processing of personal data)

रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून में सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रसंस्करण शामिल होनी चाहिए, और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का मतलब पासवर्ड, वित्तीय डेटा, स्वास्थ्य डेटा, आधिकारिक पहचानकर्ता, यौन जीवन, यौन अभिविन्यास, बॉयोमीट्रिक और आनुवांशिक डेटा शामिल करना है, और डेटा जो ट्रांसजेंडर स्थिति, अंतरंग स्थिति, जाति, जनजाति, धार्मिक या राजनीतिक मान्यताओं या किसी व्यक्ति के संबद्धताओं को प्रकट करता है।

हालांकि, कानून द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आगे श्रेणियों को सूचित करने के लिए डीपीए को अवशिष्ट शक्ति दी गई है। इसके अलावा, यह कहते हैं, व्यक्तिगत डेटा की प्रसंस्करण के लिए वैध आधार होगा। रिपोर्ट के अनुसार, सहमति के लिए सहमति के लिए यह मुक्त, सूचित, विशिष्ट, स्पष्ट और वापस लेने में सक्षम होना चाहिए, और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के लिए, सहमति स्पष्ट होनी चाहिए।

डेटा प्रिंसिपल राइट्स

समिति का सुझाव है कि पुष्टि, पहुंच और सुधार का अधिकार डेटा संरक्षण कानून में शामिल किया जाना चाहिए, और डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार सीमित अपवादों के अधीन शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, प्रसंस्करण के लिए ऑब्जेक्ट करने का अधिकार; सीधे विपणन के लिए ऑब्जेक्ट करने का अधिकार, पूरी तरह से स्वचालित प्रसंस्करण के आधार पर निर्णयों पर ऑब्जेक्ट करने का अधिकार, और प्रसंस्करण को प्रतिबंधित करने का अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है।

भूल जाने के अधिकार के संबंध में, समिति का कहना है कि इसे डीपीए के अभियोजन विंग के साथ पांच-बिंदु मानदंडों के आधार पर अपनी प्रयोज्यता निर्धारित करने के साथ अपनाया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट करता है कि अधिकार को अपनाया नहीं जाएगा यदि डीपीए को पता चलता है कि नागरिक की जानकारी का अधिकार "अपने व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण को सीमित करने में डेटा प्रिंसिपल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के किसी अन्य अधिकार को ओवरराइड नहीं करता है। "

समिति ने 50 नियमों और विनियमों की एक सूची की भी पहचान की है, जिनके पास डेटा संरक्षण ढांचे के साथ "संभावित ओवरलैप" है। प्रस्तावित रूपरेखा, इसलिए, **आधार अधिनियम, आरटीआई अधिनियम और आईटी अधिनियम सहित कई कानूनों में संशोधन का सुझाव देती है।**

प्रवर्तन(Enforcement)

डीपीए को कानून के प्रवर्तन और प्रभावी कार्यान्वयन के साथ सौंपा गया है। यह कुछ डेटाविदों को डेटा प्रिंसिपल को अधिक नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता उनकी डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों के परिणामस्वरूप के आधार पर महत्वपूर्ण डेटा जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था के रूप में वर्गीकृत करेगा । इस तरह के महत्वपूर्ण डेटा जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था का दायित्व होगा जैसे:

- डीपीए के साथ पंजीकरण;
- डेटा संरक्षण प्रभाव आकलन;
- रिकॉर्ड-रखरखाव;
- डेटा लेखा परीक्षा; और
- डेटा संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) की नियुक्ति

इसके अलावा, डीपीए में ऐसी शक्तियां होंगी जिनमें चेतावनी जारी करना, झगड़ा करना, डेटा फिडियसियरी को बंद करना और हटाना, संशोधित करना या अस्थायी रूप से कानूनों के उल्लंघन

में पाए जाने वाले डेटा फिडियसियरी के व्यवसायों या गतिविधियों को निलंबित करना शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा फिडियसियरी पर लगाए गए जुर्माना निश्चित ऊपरी सीमा तक या पिछले वित्तीय वर्ष के कुल विश्वव्यापी कारोबार का प्रतिशत, जो भी अधिक हो। हालांकि यह स्पष्ट करता है कि कानून के तहत बनाए गए अपराध किसी भी "जानबूझकर या लापरवाही व्यवहार, या प्रश्न के डेटा प्रिंसिपल को ज्ञान के कारण होने वाले नुकसान तक सीमित होना चाहिए"

<u>रक्षा साझेदारी पर भारत-अमेरिका का अहम करार, संयुक्त अभियानों की दक्षता में होगा इजाफा</u>

- भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय सामरिक रिश्तों को बढ़ावा देते हुए एक विशद साजो-सामान आदान प्रदान करार पर दस्तखत किए हैं जिससे दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे की सुविधाओं व ठिकानों का उपकरणों की मरम्मत व आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए उपयोग कर सकेंगे। इससे उनके संयुक्त अभियानों की दक्षता में इजाफा होगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने साजो-सामान आदान प्रदान सहमति करार (एलईएमओए)पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि इससे व्यावहारिक संबंध और आदान-प्रदान के लिए अवसर का सृजन होगा। एलईएमओए से भारत और अमेरिका के बीच साजो-सामान सहयोग, आपूर्ति व सेवाओं का उसकी पुन:पूर्ति के आधार पर प्रावधान होगा और उन्हें संचालित करने के लिए एक प्रारूप भी मुहैया कराया जाएगा।
- इसमें खाना, पानी, वस्त्र, परिवहन, पेट्रोलियम, तेल, लुब्रिकेंट, परिधान, चिकित्सा सेवाएं, कलपुर्जे व उपकरण, मरम्मत व देखभाल सेवाएं, प्रशिक्षण सेवाएं व अन्य साजोसामान की वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। करार पर दस्तखत होने के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया, 'वे इस तंत्र पर सहमत हुए कि इस प्रारूप से रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग में अभिनव व आधुनिक अवसरों के मौके मिलने में सुविधा होगी। अमेरिका अपने स्तर पर भारत के साथ रक्षा व्यापार व प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर सहमत हुआ है और यह भारत को उस स्तर के बराबर ले जाएगा जो उसके नजदीकी सहयोगी व भागीदारों को प्राप्त है।
- दोनों देशों के बीच के रक्षा संबंध उनके साझा मूल्यों और हितों व वैश्विक शांति व सुरक्षा के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। पर्रीकर ने कार्टर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि समझौते में भारत में किसी तरह का सैन्य अड्डा या किसी तरह की गतिविधि का कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले दोनों नेताओं ने पेंटागन में बातचीत की। पर्रीकर ने संवाददाताओं से कहा, समझौते का सैन्य अड्डा

स्थापना से कुछ लेना देना नहीं है। यह मूल रूप से एक-दूसरे के बेड़े के लिए साजो-सामान सहयोग को लेकर है जैसे ईंधन आपूर्ति, संयुक्त अभियानों, मानवीय सहायता अन्य राहत अभियानों के लिए जरूरी अन्य चीजों की आपूर्ति। उन्होंने कहा, इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों नौसेनाएं उन संयुक्त अभियानों और अभ्यासों में एक-दूसरे की सहयोगी हों जो हम करते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों को साथ लाने में सहायक बनाएगा। उन्होंने कहा कि समझौता दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभियानों को साजो-सामान के हिसाब से आसान और कुशल बनाएगा। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से परस्पर है। अन्य शब्दों में हम एक-दूसरे को इस समझौते के तहत पूरी तरह से समान व आसान पहुंच मुहैया कराते हैं। यह किसी तरह का आधार समझौता नहीं है, लेकिन यह संयुक्त अभियानों के प्रचालन तंत्र को अधिक आसान व कुशल बनाता है।

- दो मूलभूत समझौतों-कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (सीआइएसएमओए), बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बीईसीए) फॉर जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का भविष्य उन चार मूलभूत समझौतों का हिस्सा हैं जिस पर अमेरिका भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत एक दशक से अधिक समय से जोर दे रहा है। चार समझौतों में से जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (जीएसओएमआइए) पर 2002 में दस्तखत हुए थे जबकि साजो-सामान आदान-प्रदान सहमति करार (एलईएमओए) पर दस्तखत सोमवार को किए गए।
- एलईएमओए जरूरी सहयोग जुटाने का एक अतिरिक्त माध्यम मुहैया कराता है और इसमें मामलो के आधार पर दोनों देशों की मंजूरी जरूरी है। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ किसी द्विपक्षीय अभ्यास के दौरान हिस्सा लेने वाले देश की इकाई को अपने उपकरण के लिए ईंधन की जरूरत हो। इकाई तब तक खरीद नहीं कर सकती जब तक कि वह सीधा और तत्काल भुगतान नहीं करती। कार्टर ने कहा कि एलईएमओए समझौते के तहत ईंधन का मूल्य और उसके भुगतान की शर्तें पहले से तय होंगी और जरूरी नहीं कि यह भुगतान नकद में ही किया जाए। कार्टर ने कहा कि भारत का 'एक प्रमुख रक्षा साझेदार' के तौर पर ओहदा अमेरिका को उसके साथ सहयोग करने की इजाजत देगा। यह सहयोग सामरिक और प्रौद्योगिकीय डोमेन में होगा और यह सहयोग अमेरिका के नजदीकी व सबसे दीर्घकालिक सहयोगियों के बराबर होगा।
- कार्टर ने कहा, प्रमुख रक्षा साझेदारी समझौते के हिसाब से यह एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। यह 50 साल के इतिहास के हिसाब से एक बड़ा बदलाव है। यह महज कुछ महीने पहले के समय की तुलना में एक बड़ी प्रगति है। बीते जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी, तब

अमेरिका ने भारत को एक 'बड़े रक्षा साझेदार' का दर्जा दिया था। कार्टर ने कहा, भारत सरकार ने आज की हमारी बैठक से पहले हमें एक बहुत लंबा, विस्तृत और रचनात्मक दस्तावेज भेजा, जिसमें यह बताया गया था कि प्रमुख रक्षा साझेदारी समझौते को कैसे लागू किया जाए। प्रमुख रक्षा साझेदारी को लागू करने के लिए यह एक शानदार आधार है।' उन्होंने कहा कि प्रमुख रक्षा सहयोगी के दर्जे ने उन पुराने अवरोधकों को 'तोड़' दिया है, जो रक्षा, रणनीतिक सहयोग के आड़े आते थे, जिसमें रणनीतिक सहयोग में सह-उत्पादन, सह-विकास परियोजनाएं और अभ्यास शामिल हैं। पर्रीकर ने कहा कि अमेरिका रक्षा उपकरणों के भारत के प्राथमिक स्रोतों में से एक है और उसने अपने कई अहम मंचों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि वह बड़ी सहयोगी परियोजनाओं के लिए इसे आगे ले जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने रक्षा प्रौद्योगिकी व व्यापार पहल (डीटीटीआई) का दायरा और गतिविधियों को महत्त्वपूर्ण ढंग से विस्तार देने का फैसला किया। कार्टर ने कहा कि यह दर्जा दरअसल अमेरिका और भारत के पिछले साल के रक्षा संबंध के मसौदे की सफलता पर आधारित है।

- इस बीच चीन ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साजो सामान समझौते को 'सामान्य सहयोग' बताते हुए इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी है हालांकि इसके सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी गठबंधन में शामिल होने की भारत की कोशिशों से चीन, पाकिस्तान या यहां तक कि रूस भी खीझ सकता है, जिससे भारत रणनीतिक परेशानी में पड़ सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए 'लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम आॅफ एग्रीमेंट' (एलईएमओए) के बारे में एक जवाब में कहा, हमने प्रासंगिक रिपोर्ट का जिक्र किया है। आशा करते हें कि भारत और अमेरिका के बीच यह सहयोग क्षेत्र में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक पारित

देश में काले धन पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बीच एक और कदम उठाते हुए संसद ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। फिलहाल बेनामी लेनदेन की परिभाषा यही है कि इसमें ऐसी संपत्ति दांव पर होती है, जिसमें वह खरीदी तो किसी और के नाम पर जाती है, लेकिन उसके लिए भुगतान कोई और करता है.

प्रमुख बिंदु

- विधेयक में इसके लिए दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें संदिग्ध नामों के तहत खरीदी गई संपत्तियों को भी शामिल किया गया है और ऐसी स्थितियों को भी जोड़ा गया है, जिसमें मालिक अपने मालिकाना हक से परिचित भी नहीं और ऐसे सौदों को अंजाम देने वालों की धरपकड़ भी की जाएगी।

- अर्थव्यवस्था में काले धन को छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियों की खरीदारी होती है।
- पारिभाषिक रूप से बेनामी संपत्ति वह है, जो व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर खरीदता है।
- भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके धन का कोई हिसाब-किताब नहीं है और वे आयकर भी नहीं चुकाते, वे अमूमन बेनामी संपत्तियों में धन लगाते हैं।
- यदि संपत्ति पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी निकट सदस्य के नाम पर है तो वह बेनामी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर दर्ज है, तब उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।
- संशोधित विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सकती है।
- इसमें सरकार को वैधानिक और प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे वह बेनामी कानून के लागू होने की राह में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को पार पाने में सक्षम होगी।
- इससे पहले कानूनी बाध्यताओं के चलते सरकार के लिए बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लेना मुश्किल होता था। यह विधेयक इन बाध्यताओं को दूर करेगा|
- आय घोषणा योजना के तहत अभी भी कोई व्यक्ति अपनी बेनामी संपत्ति की घोषणा कर सकता है और उसे बेनामी अधिनियम के प्रावधानों से राहत दी जाएगी।
- ऐसी घोषणा करने वाले व्यक्ति को अपनी उक्त संपत्ति पर 45 प्रतिशत का कर अदा करना होगा। ऐसा करने के एक साल बाद वह व्यक्ति उस संपत्ति का वैधानिक मालिक बन सकता है।
- सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कानून की धारा 58 के तहत धर्मादा और धार्मिक संगठनों की संपत्तियां इस कानून के दायरे से बाहर होंगी। हालांकि बेनामी संपत्तियां बनाने के लिए धार्मिक पंथ के नाम पर जालसाजी करने वालों की धरपकड़ की जाएगी।
- इस विधेयक का उद्देश्य एक व्यापक समावेशी ढांचा तैयार करना है, जिसमें बेनामी संपत्तियों के बेहतर नियमन की सुनवाई के लिए विशेष सुनवाई प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- अधिनियम के तहत उचित नियमों के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक में चार स्तरीय नियामकीय ढांचे के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें एक पहल अधिकारी, एक स्वीकृति प्राधिकरण, एक प्रशासक और सुनवाई प्राधिकरण होगा।
- विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें बेनामी संपत्ति खरीदने की स्थिति में सात साल की सजा हो सकती है। साथ ही एजेंसियों को गलत सूचनाएं देने के कारण भी पांच साल जेल में काटने पड़ सकते हैं।

- संशोधन में एक अपीलीय पंचाट के गठन का भी प्रावधान है, जो अपील के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे और मामले के उच्च न्यायालय में जाने से पहले उसकी यहीं सुनवाई हो सके।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015 को हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य पहले से मौजूद बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करना है। हालांकि 1988 में बनाए कानून का उद्देश्य भी करवंचना और संपत्तियों के अनियमित उपयोग को रोकना ही था, लेकिन वह अपने लक्ष्य में सफल होता नहीं दिखा और समय के साथ उसमें कुछ संशोधनों की जरूरत भी महसूस होने लगी।

123वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित

लोकसभा ने पिछड़ा वर्ग के लिये नया राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिये 123वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। इसके तहत 'सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन का प्रावधान है जो वर्तमान 'पिछड़ा वर्ग आयोग' का स्थान लेगा। इस संविधान संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के पश्चात पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, जैसा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को प्राप्त है। किंतु, इस विधेयक के प्रावधानों के लागू होने से कई समस्याएँ पैदा हो सकती हैं-

- पिछड़ेपन को पारिभाषित करने की जिम्मेदारी नए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (New NCBC) को नहीं दी गई है। इसलिये यह आयोग पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं उनकी मौजूदा चुनौतियों को हल करने में कितना सफल हो पाएगा, इस पर प्रश्न चिह्न है।
- जिस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दलितों एवं आदिवासियों पर किये जाने वाले अत्याचारों का संज्ञान लेता है उसी प्रकार प्रस्तावित आयोग भी पिछड़ी जातियों के विरूद्ध होने वाले अत्याचार और शोषण का संज्ञान लेगा। इस प्रकार यदि किसी शोषणकारी घटना में एक पक्ष पिछड़ा वर्ग हो एवं दूसरा SC/ST हो तो दोनों ही आयोग अपने-अपने पक्षों का संज्ञान लेते हैं तो दो संवैधानिक निकायों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को देखते हुए पिछड़ों और SC/ST को एक ही तराजु पर तौलना जायज नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाली अनेक जातियों ने भी SC/ST का शोषण किया है।

इस प्रकार, यद्यपि पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने एवं उसकी शक्तियाँ बढ़ाने की मांग वर्षों से की जा रही थी लेकिन आदिवासियों/दलितों तथा पिछड़े वर्गों की जातियों में फर्क करना आवश्यक है ताकि समाज के बहिष्कृत तबके को सामाजिक न्याय प्रदान कर आरक्षण के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल 2018

डेटा सुरक्षा पर न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल 2018 के मसौदे की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट हाल ही में सरकार को सौंप दी गई। यह रिपोर्ट भारत में डेटा सुरक्षा कानून को मज़बूत करने और व्यक्तियों को निजता संबंधी अधिकार देने पर ज़ोर देती है। हालाँकि रिपोर्ट में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून संबंधी प्रस्तावित संशोधनों को लेकर कुछ चिंताएं हैं और कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि संशोधन द्वारा आरटीआई कानून के प्रावधानों को कमज़ोर बनाया जा रहा है तथा इसके बाद सरकार से जानकारी हासिल करना और कठिन हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट तीन पहलुओं - नागरिक, राज्य और उद्योग से जुड़ी हुई है।
- डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिये फ्रेमवर्क की सिफारिश किये जाने हेतु जुलाई 2017 में न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी।
- व्यक्तिगत आँकड़ों के संबंध में डेटा संरक्षण पर इस रिपोर्ट से उम्मीद है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सामूहिक संस्कृति निर्मित करना आवश्यक है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता हो, व्यक्तियों की सूचनात्मक गोपनीयता का सम्मान करता हो और सशक्तिकरण, प्रगति तथा नवाचार सुनिश्चित करता हो।

डेटा की एक प्रति भारत में संग्रहीत किये जाने की आवश्यकता

- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोपनीयता ज्वलंत समस्या बन गई है और इसलिये किसी भी कीमत पर डेटा की सुरक्षा के लिये हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिये।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य व्यक्तिगत डेटा को भारत क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिये डेटा की कम-से-कम एक प्रति को भारत में संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी।
- मसौदा विधेयक से भारत को उम्मीद है कि दुनिया के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये यह एक आदर्श मॉडल बन सकेगा जो राज्य सहित भारत के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होगा।
- भारत में डेटा प्रोसेसर मौजूद नहीं होने की स्थिति में मसौदा विधेयक भारत में कारोबार करने वाले अन्य लोगों या प्रोफाइलिंग जैसी अन्य गतिविधियों पर लागू होगा जो भारत में डेटा प्रदाता की गोपनीयता को नुकसान पहुँचा सकता है।

डेटा प्रोसेसर पर जुर्माने का प्रावधान

- मसौदा विधेयक डेटा प्रोसेसर के लिये ज़ुर्माने का भी प्रावधान करता है, साथ ही डेटा प्रोटेक्शन कानून के उल्लंघन के लिये डेटा प्रदाता को मुआवज़ा भी देने का प्रावधान करता है।
- मसौदा में किये गए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी भी डेटा संग्रह / प्रोसेसिंग इकाई के कुल विश्वव्यापी कारोबार का 4% या 15 करोड़ रुपए तक ज़ुर्माने के रूप में देना होगा।
- डेटा सुरक्षा उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई करने में विफलता के लिये 5 करोड़ या कुल टर्नओवर का 2% ज़ुर्माना हो सकता है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग स्पष्ट सहमति के आधार पर होनी चाहिये।
- समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है मसौदा कानून एक संरचित और चरणबद्ध तरीके से लागू होगा।
- कानून लागू होने के बाद चल रही प्रोसेसिंग को कवर किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखें

- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रिपोर्ट डेटा संरक्षण की दिशा में पहला कदम है और जिस प्रकार प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है उसे दृष्टिगत रखते हुए कानून को सुदृढ़ करना आवश्यक है। रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल "नए जूते खरीदने" की तरह हैं। हो सकता है यह शुरुआत में मुश्किल हो लेकिन बाद में आरामदायक होगा।
- रिपोर्ट में हालिया आरटीआई कानून का बारीकी से अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से धारा 8 (1) (j) का, जो निजता के अधिकार और किसी व्यक्ति की निजता भंग होने पर सूचना देने से मना करने का प्रावधान करती है। लोक सेवकों ने कई बार इस धारा का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना किया है।
- हालाँकि रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि निजता संबंधी अधिकारों के लिये आरटीआई कानून के प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि आरटीआई कानून में विशेष रूप से उन परिस्थितियों का जिक्र किया जाना चाहिये जिसमें निजी जानकारी के खुलासे और किसी व्यक्ति की निजता के बीच आनुपातिक प्रतिबंध हो।
- मसौदा विधेयक पर व्यापक संसदीय परामर्श किया जाएगा तथा रिपोर्ट और मसौदा कानून अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं और मंत्रिमंडल के साथ-साथ संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया के माध्यम से लाया जाएगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण

- मसौदा विधेयक में व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी तथा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई है।

- मसौदे में कहा गया है कि डेटा प्रदाता को डेटा प्रोसेसर द्वारा व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित या रोकने का अधिकार होगा।

बच्चों के डेटा के साथ सावधानी बरतें

- डेटा गोपनीयता पर समिति ने बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिये अलग और अधिक कठोर मानदंडों की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया है।
- कंपनियों को कुछ प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग जैसे- व्यवहार संबंधी निगरानी, ट्रैकिंग, लक्षित विज्ञापन और किसी अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये क्योंकि यह बच्चों के हित में नहीं है।
- यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की प्रक्रिया को डेटा की नियमित प्रोसेसिंग की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिये।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के डेटा की सुरक्षा पर वैधानिक विनियमन के लिये बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिये।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने वाली दो प्रकार की संस्थाएँ विद्यमान हैं। पहला प्रकार, जो मुख्य रूप से बच्चों को सेवा प्रदान करने का ऑफर देते हैं ,जैसे- यूट्यूब किड्स, हॉट व्हील और वॉल्ट डिज़्नी तथा दूसरा, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया सेवाएँ हैं।
- समिति ने सिफारिश की है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में वेबसाइटों या ऑनलाइन सेवाओं को नामित करने की शक्ति होगी जो भारी संख्या में बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को "अभिभावक डेटा प्रत्ययी" के रूप में संसाधित करती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ डेटा प्रोसेसिंग को बच्चों के लिये हानिकारक पाया गया है।
- समिति के मुताबिक कंपनी पर किसी बच्चे के डेटा को सही ढंग से संसाधित करना माता-पिता की सहमति पर आधारित होना चाहिये।

डिजिटल ग्रोथ बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता

- डेटा संरक्षण पर न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बीच एक अंतर्निहित तनाव है।
- इस तनाव का कारण डेटा की मात्रा है जिसे फेसबुक, गूगल, अमेज़ॅन जैसी कंपनियाँ और यहाँ तक कि सरकारी कंपनियाँ उपयोगकर्त्ताओं से एकत्र करती हैं।
- ये कंपनियाँ अक्सर अधिक-से-अधिक डेटा की मांग कर उन्हें एकत्र करने के बाद डेटा का उद्देश्य निर्धारित करती हैं। साथ ही, उनके अज्ञात डेटा को भी पहचाना जा सकता है।

- यही कारण है कि समिति ने एक व्यक्ति की निजता की सुरक्षा के लिये दो स्तंभों की पहचान की है। पहला "डेटा न्यूनीकरण" (इकाई को केवल आवश्यक डेटा ही एकत्र करना चाहिये) और दूसरा "उद्देश्य का विवरण" (उद्देश्य का खुलासा होना चाहिये कि डेटा क्यों एकत्रित किया जा रहा है)।

मटाला हवाई अड्डे

- श्रीलंका ने भारत के साथ मटाला हवाई अड्डे के सौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में
- श्रीलंका सरकार पड़ोसी देश के दक्षिण में स्थित मटाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारत के साथ संयुक्त उद्यम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
- एयरपोर्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संचालित किया जाएगा, केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा और वे हवाई अड्डे को सक्रिय बनाने के लिए विस्तृत योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- एयरपोर्ट के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी और एएआई के पास उद्यम में 70 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी होगी जबकि शेष का स्वामित्व श्रीलंका सरकार के पास होगा।
- श्रीलंका सरकार ने नेविगेशन अधिकार और हवाई क्षेत्र नियंत्रण बनाएगा
- राजधानी कोलंबो से 240 किमी दूर स्थित, मटाले हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा माना जाता है क्योंकि अब सेवा में कोई यात्री उड़ान नहीं है।
- यह चीन से उच्च ब्याज वाणिज्यिक ऋण के साथ बनाया गया था और सरकार के राजस्व पर तनाव डालने, भारी नुकसान का सामना कर रहा है।
- श्रीलंका सरकार ने निवेशकों को हवाई अड्डे को पिछले साल लाभ बनाने के संयुक्त उद्यम में बदलने के लिए आमंत्रित किया।
- इस समझौते को मंजूरी के लिए कैबिनेट में जमा किया जाएगा और श्रीलंका संसद में शामिल होने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

भारत का रक्षक मिसाइल

हाल ही में भारत ने अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा को सुदृढ़ करने के लिये अमेरिका से रक्षक मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। इसके तहत राष्ट्रीय उन्नत वायु रक्षा प्रणाली – II (National Advanced Surface-to-Air Missile System- NASAMAS-II) की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सौदा लगभग $ 1 बिलियन का होगा।

प्रमुख बिंदु

- यह रक्षा प्रणाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को हवाई हमलों से बचाने में मददगार होगी।
- यह 9/11 जैसे हमलों (इसमें आतंकवादियों ने अपहृत विमान द्वारा न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला कर दिया था) से सुरक्षा प्रदान करती है।
- इस तरह इस रक्षा प्रणाली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित महत्त्वपूर्ण भवनों की रक्षा की जा सकेगी।

हवाई क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पहल

- भारत अपने हवाई क्षेत्र को लड़ाकू विमान, मिसाइलों और मानवरहित हवाई वाहनों (unmanned aerial vehicles-UAV) द्वारा पूरी तरह सुरक्षित करने के लिये बहु-स्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क भी तैनात कर रहा है।
- यह प्रणाली मध्यम और लंबी दूरी की सतह से हवा (surface to air) में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जैसे अन्य प्रणालियों के लिये पूरक के रूप में कार्य करेगी।
- भारत, रूस के साथ अत्यधिक लंबी दूरी की S-400 रक्षा प्रणालियों की खरीद हेतु उन्नत चरण में पहुँच गया है।
- NASAMAS को किंग्सबर्ग डिफेंस और नॉर्वे के एयरोस्पेस की भागीदारी में रेथियॉन द्वारा विकसित किया गया था।
- यह किसी भी ऑपरेशनल एयर डिफेंस जैसी आवश्यकता के लिये अत्यधिक अनुकूलनीय मध्यम दूरी समाधान प्रस्तुत करता है, जो ज़रूरत के अनुसार समायोजित होकर खतरों को तीव्र गति से पहचानने की क्षमता को बढ़ा देता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट, उभरते क्रूज़ मिसाइल या मानवरहित हवाई वाहनों के खतरों का सामना कर उसे नष्ट कर देता है।
- NASAMS-II एक अपग्रेड किया गया संस्करण है और त्वरित प्रतिक्रिया के लिये नए 3 डी मोबाइल निगरानी रडार और 12 मिसाइल लॉन्चर से युक्त हैं।
- भारत, रूस के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंधों पर भिन्न विचार रखता है और अमेरिका के प्रतिबंधात्मक अधिनियमों का विरोध भी करता है। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ते हुए भारत, रूस से एस -400 सिस्टम की खरीद रहा है।
- इन आयातों के अलावा भारत खुद भी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के प्रथम चरण की तैनाती जल्द ही किये जाने की उम्मीद है।

यूनाइटेड किंगडम में अंग दान के लिये नया कानून

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने अंग और ऊतक दान करने के लिये अपने वर्तमान कानून में परिवर्तन की योजना बनाई है। यह नया कानून देश में भारतीय मूल के लोगों के लिये तत्काल अंगों की आवश्यकता का समाधान करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अंग और ऊतक दान के लिये प्रस्तावित यह प्रणाली स्वतः सहमति पर आधारित है।
- इस कानून में प्रत्येक वयस्क को तब तक स्वाभाविक रूप से एक अंगदाता के रूप में स्वीकार किया गया है जब तक कि उस व्यक्ति विशेष ने इस संबंध में अपनी असहमति नहीं दर्ज की है।
- इंग्लैंड में अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक समुदाय (BAME) के लोगों की मदद हेतु एक अभियान के रूप में सन 2020 से इस कानून के प्रभावी होने की उम्मीद है।
- एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों में निम्न अंग दान के कारण होने वाली मौतों की संख्या काफी अधिक है।
- एनएचएस के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले साल 1.9% भारतीयों के साथ केवल 7% दाता BAME पृष्ठभूमि से संबंधित थे। जबकि अंग दान की प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों में मरने वाले में 21% लोग BAME पृष्ठभूमि से संबंधित थे।

<u>नो-डिटेंशन पालिसी समाप्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित</u>

लोकसभा ने हाल ही में नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 पारित कर दिया है जो कक्षा पाँच और आठ में छात्रों को फेल किये बिना उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने वाली नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना चाहता है| यह कानून 1.4 मिलियन प्राथमिक विद्यालयों के 180 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रभावित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल 22 राज्यों ने इस पॉलिसी के कारण शिक्षा का स्तर गिरने की बात कहते हुए इसे समाप्त करने की मांग केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद संशोधन का फैसला लिया गया था।
- संशोधित बिल के तहत अब पाँचवीं और आठवीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। इस परीक्षा में भी अगर छात्र स्तरीय प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फेल घोषित कर दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
- इस विधेयक के पास होने पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है|
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, चार या पाँच राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य नो-डिटेंशन पालिसी ख़त्म करने के पक्ष में हैं|
- आरटीई संशोधन विधेयक के अनुसार, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो मौके दिये जाएंगे और अगर वे दोनों प्रयासों में विफल हो जाएंगे तो उन्हें फेल घोषित कर दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

- छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वे सीखने के स्तर तक पहुँचने में नाकाम रहते हैं तो स्कूल के अधिकारियों के पास छात्रों को उसी कक्षा में प्रवेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा|
- हालाँकि, बिल में राज्यों को स्कूल, ज़िला या राज्य स्तर पर परीक्षाओं का चयन या संचालन करने के लिये नो-डिटेंशन पालिसी जारी रखने की अनुमति देने का प्रावधान है।
- अप्रैल 2010 में आरटीई अधिनियम की शुरुआत के बाद से पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ था, लेकिन इस अभ्यास ने शिक्षा के खराब स्तर के लिये इसे आलोचना का शिकार बना दिया।
- गैर-लाभकारी संगठन 'प्रथम' द्वारा प्रकाशित ग्रामीण भारत के लिये शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ASER) के अनुसार, पाँचवी कक्षा के सभी छात्रों का अनुपात जो कि कक्षा दो के स्तर की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते थे, 2014 में 48.1% से गिरकर 2016 में 47.8% हो गया| अंकगणित और अंग्रेज़ी विषय में भी यही स्थिति देखी गई।
- भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत विभिन्न दलों के कई सांसदों ने छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिये शिक्षकों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।
- शिक्षा के अधिकार के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, छात्रों को 8वीं कक्षा तक फेल होने के बाद भी अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है, इसे ही हम 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' के नाम से जानते हैं।

ट्राई द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री को मंज़ूरी

हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश में पहली बार 5G सेवाओं की पेशकश के लिये लगभग 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज़ के एक अखिल भारतीय आरक्षित मूल्य पर स्पेक्ट्रम की नीलामी की सिफारिश की।

प्रमुख बिंदु

- अपनी सिफारिशों में ट्राई ने उच्च गति सेवाओं के लिये लोकप्रिय 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमतों में भी 43% से अधिक की कटौती की मांग की है।
- 2016 की नीलामी में उच्च मूल्य निर्धारण के कारण इसे कोई खरीदार नहीं मिला। 700 मेगाहर्ट्ज़ के लिये अनुशंसित अखिल भारतीय आरक्षित मूल्य पिछली बार के 11,500 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज़ की तुलना में इस बार 6,538 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज़ है।
- आगामी बिक्री में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी में रखे जाने की अनुशंसा करते हुए ट्राई ने सुझाव दिया कि "नीलामी में देरी या स्पेक्ट्रम को वापस रखने में कोई समझदारी नहीं है।"
- सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई इन सिफारिशों के आधार पर नीलामी के अगले चरण के लिये आधार मूल्य और समय को अंतिम रूप दिया जाएगा।

- स्पेक्ट्रम के लिये आखिरी नीलामी अक्तूबर 2016 में हुई थी, जिसमें लगभग 60% स्पेक्ट्रम बिना बिके रह गए थे, सरकार ने इस नीलामी से 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी।
- वर्ष 2016 से दूरसंचार उद्योग में मज़बूत समेकन देखा गया है, केवल तीन मुख्य प्रतिस्पर्द्धी- भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और रिलायंस जियो ही मैदान में बचे हैं।

स्पेक्ट्रम के लिये प्रस्तावित कीमतें

- व्यापक रूप से ध्वनि सेवाएँ प्रदान करने हेतु उपयोग किये जाने वाले 1,800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिये 3,285 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य की सिफारिश की गई है।
- 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड और 2500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड स्पेक्ट्रम के लिये आरक्षित मूल्य क्रमशः 4651 करोड़ रुपए, 1622 करोड़ रुपए, 3399 करोड़ रुपए, 960 करोड़ रुपए, और 821 करोड़ रुपए रखा गया है।
- 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़ और 3300-3600 मेगाहर्ट्ज़ की कीमतें अनपेक्षित स्पेक्ट्रम के लिये हैं।

लेखा परीक्षा की आवश्यकता

- ट्राई ने यह भी बताया कि वाणिज्यिक और विभिन्न पीएसयू तथा सरकारी संगठनों को आवंटित स्पेक्ट्रम सहित सभी आवंटित स्पेक्ट्रम के लेखा परीक्षा की "तत्काल आवश्यकता" है। यह कार्य नियमित आधार पर एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिये।
- 5G वायु तरंगों यानी 3300-3600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिये, ट्राई ने कहा कि इसे 20 मेगाहर्ट्ज़ के ब्लॉक आकार में नीलामी में रखा जाना चाहिये। इस बैंड के एकाधिकार से बचने के लिये प्रति बोलीदाता 100 मेगाहर्ट्ज़ की सीमा होनी चाहिये।
- ट्राई ने कहा कि दुरुपयोग से बचने के लिये 2 साल के विपरीत 5 साल की लॉक-इन अवधि के बाद इस बैंड में स्पेक्ट्रम व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिये।

<u>भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की करेगा समीक्षा</u>

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा, जिसके बाद अनुमान है कि लोन लेना व महंगा हो जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे यह 6.50 प्रतिशत होने की उम्मीद है.

बैंक बढ़ा देंगे ब्याज दरें

- अगर भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक सभी प्रकार के लोन पर ब्याज दरों को बढ़ा देंगे. खुदरा महंगाई दर के मई में चार महीने के ऊपरी स्तर 4.87 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद इंडियन रिजर्व बैंक (आरबीआई) अगस्त में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में फिर एक बार मुख्य ब्याज दर में वृद्धि करने को बाध्य हो सकता है . यह बात विभिन्न विश्लेषकों ने कही .

यह है अनुमान

- कई आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने माना है कि महंगाई दर व डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये को काबू में रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 0.25 .प्रतिशत की बढ़ोतरी करने को बाध्य होगा . इंडियन उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बोला था कि मुख्य ब्याज दर बढ़ने से कारोबार करने की लागत बढ़ेगी व राष्ट्र के कारोबारी निवेश की गति घटाने को बाध्य होंगे, जो कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है .
- फ्रांस की ब्रोकरेज कंपनी बीएनपी पारिबा की एक रिपोर्ट में विश्लेषकों ने बोला है कि आगामी महीनों में विभिन्न कारणों से मुख्य क्षेत्रों की महंगाई व खुदरा महंगाई बढ़ने का अंदेशा है व हमारा मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक बार व मुख्य ब्याज दर में 0.25 .प्रतिशत बढ़ोतरी कर सकता है .
- यूबीएस सिक्योरिटीज ने भी बोला कि अगस्त में दर में वृद्धि की जा सकती है . यदि कच्चे ऑयल की मूल्य मौजूदा स्तर पर बनी रहती है व मुख्य क्षेत्रों की महंगाई ऊपर की ओर बनी रहती है, तो अगली दर वृद्धि अगस्त में ही हो सकती है .

कितनी बढ़ेगी ईएमआई

- अगर अभी ब्याज दर 10 प्रतिशत है तो 20 वर्ष के लिए 20 लाख रुपये के होम लोन पर 19300 रुपये की ईएमआई बनती है . अगर रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद बैंक चौथाई प्रतिशत ब्याज दर बढ़ाते हैं तो 10.25 .प्रतिशत के ब्याज दर पर ईएमआई बढ़कर 19633 रुपये हो जाएगी यानी हर महीने 333 रुपये का बोझ बढ़ेगा

महंगाई बढ़ने की आशंका

- रिजर्व बैंक ने वित्त साल 2018-19 की पहली छमाही के दौरान खुदरा मूल्य पर आधारित महंगाई की दर के 4.8 से 4.9 .प्रतिशत के बीच रहने की आसार जताई है . चालू साल की दूसरी छमाही के दौरान इसके 4.7 .प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया गया है . इससे पूर्व के अनुमान में पहली छमाही 4.7-5.1 .प्रतिशत व दूसरी छमाही में 4.4 .प्रतिशत रहने का अनुमान जाहीर किया गया था .

विकास दर अनुमान यथावत

- केन्द्रीय बैंक ने वित्त साल 2018-19 के लिए अर्थव्यवस्था विकास दर के अनुमान को 7.4 .प्रतिशत पर बरकरार रखा है . इस साल पहली छमाही -अप्रैल-सितंबर- के बीच 7.5-7.6 .प्रतिशत की विकास दर रहने का अनुमान है, जबकि दूसरी छमाही के दौरान 7.3-7.4 .प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है .

रेपो रेट क्या है

- रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं . जब भी बैंकों के पास खज़ाना की कमी होती है, तो वे इसकी भरपाई करने के लिए केंद्रीय बैंक से

पैसे लेते हैं . रिजर्व बैंक की तरफ से दिया जाने वाला यह कर्ज जिस दर पर मिलता है, वही रेपो रेट कहलाता है . इसे हमेशा से रिजर्व बैंक ही तय करता है . रेपो रेट में कटौती या बढ़ोतरी करने का निर्णय मौजूदा व भविष्य में अर्थव्यवस्था के संभावित दशा के आधार पर लिया जाता है .